उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 06 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–06(02/26)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति श्री ओम प्रकाश सिंह नेगी ने शिष्टाचार भेंट की।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 06 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–05(02/25)

उत्तराखण्ड में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण हुआ लागू

अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता, श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संविधान संशोधन के उपरान्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी क्रम में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भी 5 फरवरी, 2019 को ''उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आरक्षण) अध्यादेश 2019'' लागू कर दिया गया है।

इस प्रकार केन्द्र सरकार तथा गुजरात सरकार के बाद उत्तराखण्ड देश में दूसरा राज्य है, जहां उक्त आरक्षण लागू किया गया है। प्रदेश के बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिये यह अच्छी खबर है, जिसके अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि यह अध्यादेश समस्त विभागों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया गया है, ताकि इस पर तत्काल अधियाचन एवं विज्ञप्ति जारी की जाये तथा अधिक से अधिक बेरोजगार नौजवानों को शीघ्र रोजगार प्राप्त हो सके।

इसके तहत लोक सेवाओं और पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के पक्ष में उत्तराखण्ड राज्य के उन स्थायी निवासियों को आरक्षण प्राप्त होगा, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के व्यक्ति जिनके परिवारों की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु 8.00 लाख से कम हो आरक्षण के इस प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो में चिन्हित हैं। परिवार, की आय में सभी स्रोतों से अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से प्राप्त आय सम्मिलित होगी। उक्त आय लाभार्थी द्वारा आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए आय होगी।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 06 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–04(02/24)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, डांडा लखौंड, देहरादून में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला एवं राज्य औषधि नियंत्रक भवन कार्यालय का शिलान्यास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण, चिकित्सा अधिकारियों के लिए 17 ट्रांजिट हॉस्टल का शिलान्यास व राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का राज्य स्तरीय शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक व्यापक एवं सुविधाजनक बनाने के लिए संगठित एवं समन्वित प्रयासों की जरूरत है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात के बाद उत्तराखण्ड दूसरा राज्य है जहां एन.एच.एम का अपना कार्यालय स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा सामाजिक दायित्व के तहत विशेषज्ञ डॉक्टर महिने में 2–3 दिन दुर्गम क्षेत्रों में जाकर अपने सेवाएं दें, तो बड़े अस्पतालों के वर्क लोड में भी कमी आयेगी व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आयेगा। उन्होंने कहा कि चमोली के पीपलकोटी व रूद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐलोपैथिक व आयुर्वेदिक दवाओं के लिए लाइसेंस के लिए सिंगल विंडों सिस्टम बनाने का प्रयास किया जायेगा। देश के 20 प्रतिशत आयुर्वेदिक दवाओं का निर्यात उत्तराखण्ड करता है। उन्होंने कहा कि फार्मा इंडस्ट्रियों के प्रतिनिधियों से पिछले साल मसूरी में बैठक के बाद उनकी अनेक समस्याओं का समाधान किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद राज्य में तेजी से औद्योगीकरण हुआ। वर्तमान में प्रदेश में 300 औषधि निर्माता फर्म व 150 कॉस्मेटिक आईटम निर्माता फर्म हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। आम जन के स्वास्थ्य के हित में औषधियों का परीक्षण किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य औषधि संगठन हेतु कार्यालय भवन एवं राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किये जाने के लिए 14 करोड़ रूपये की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त की गई है जिसमें से 5 करोड़ रूपये की पहली किश्त प्राप्त हो चुकी है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड के भवन के तृतीय तल पर 644.33 लाख रूपये की लागत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय का निर्माण किया गया है। एन.एच.एम के अन्तर्गत हर चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारियों हेतु चिकित्सालयों में ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। बागेश्वर, चम्पावत, चमोली व उप चिकित्सालय में एक–एक एवं 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण 4538 लाख रूपये की लागत से पेयजल निगम द्वारा किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने 15 बच्चों को एलबेंडाजोल की गोलिया खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का राज्य स्तरीय शुभारम्भ किया। 08 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति के छठें चरण में प्रदेश के सभी जनपदों में 1 से 19 वर्ष के 42 लाख बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई जायेगी।

इस अवसर पर विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, उपाध्यक्ष, ग्रामीण स्वास्थ्य सलाहकार परिषद् श्री ज्ञान सिंह नेगी, सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश कुमार झा, मिशन निदेशक एनएचएम श्री युगल किशोर पंत, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. टी.सी.पंत, चेयरमैन औषधि नियंत्रण निर्माण इकाई श्री संदीप जैन आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 06 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(02/23)

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा बुधवार को सचिवालय में डी.बी.टी. (डायेरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना) की समीक्षा की गयी। मुख्य सचिव द्वारा इस पोर्टल की उपयोगिता के दृष्टिगत अन्य विभागों द्वारा भी इसका उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 01 अप्रैल 2019 से समस्त लाभार्थियों के डेटा को डिजिटाइज करने के लिए पोर्टल की उपयोगिता को सराहा गया है। उन्होंने विजन 2020 के अन्तर्गत राज्य की समस्त डी.बी.टी. स्कीमों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। in-kind स्कीमों में प्रत्यक्ष लाभान्तरण सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर विभागीय स्तर पर आवश्यक तैयारी करने के भी निर्देश मुख्य सचिव ने दिए है।

सचिव, वित्त अमित नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि डी.बी.टी. मिशन, पर भारत सरकार की अपेक्षा अनुरूप राज्य में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में स्टेट डी.बी.टी. पोर्टल का निर्माण किया गया है, उसे भारत डी.बी.टी. पोर्टल से इन्टिग्रेट किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अपना आधार एक्ट भी बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा चिन्हित व राज्य में लागू समस्त सी.एस.एस. की डी.बी.टी. स्कीमों को ऑन बोर्ड किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य सेक्टर की 122 योजनाओं को भी ऑन बोर्ड किया जा चुका है। एन.आई.सी. ने रूट लेवल पर लाभार्थियों को विवरण को संचित करने हेतु एम.आई.एस. पोर्टल को विकसित किया है। आई.सी.डी.एस., कृषि व पशुपालन आदि विभागों द्वारा इस पोर्टल का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया गया है।

उन्होंने इस सम्बन्ध में आवश्यक मार्ग निर्देशन एवं सहयोग हेतु विभागों को श्री मनमोहन मैनाली, उप–सचिव, इरला, उत्तराखण्ड शासन एवं श्री एन.एस. नेगी, निदेशक, एन.आई.सी. से संपर्क कर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में सचिव श्री डी.सेन्थिल पाण्डियन, श्री शैलेश बगोली, नोडल, डी.बी.टी. उर्वरक श्री अनिरूद्व सक्सेना एवं डी.बी.टी के नोडल अधिकारी आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 06 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–02(02/22)

50 लाख लोगों को फायदा पहुंचाएगी राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना

- **55,717 लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रोजगार।**

- **3,340 करोड़ रूपए की एनसीडीसी से मिली स्वीकृति।**
- **रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, पलायन को रोकना व किसानों की आय दोगुना करना योजना के उद्देश्य।**
- **कृषि, भेड़–बकरी पालन, डेयरी व मत्स्य पालन पर रहेगा फोकस।**

प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से अगले पांच वर्षों में खेती–किसानी का कायाकल्प करने की पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, पलायन को रोकने व किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जल्द ही राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना शुरू होने जा रही है। इसके लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 3,340 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। ''खेत से बाजार तक'' की रणनीति के तहत बनाई गई योजना की गतिविधियों से सीधे या परोक्ष तौर पर प्रदेश के 50 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। जबकि 55,717 लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के संकल्प के तहत मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर उत्तराखण्ड में महत्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा तैयार की गई है। पिछले काफी समय से इस पर होमवर्क किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने सहकारिता, कृषि, उद्यान, दुग्ध, मत्स्य, पशुपालन सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ काफी मंथन के बाद इस योजना को मंजूरी दी। इसमें केंद्र सरकार द्वारा भी महत्वपूर्ण सहयोग किया जा रहा है। एनसीडीसी ने 3340 करोड़ रूपए की धनराशि स्वीकृत की है। सहकारिता के माध्यम से इस प्रकार की समेकित विकास परियोजना शुरू करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य है। जल्द ही इसे लांच किया जाएगा।

परियोजना के क्रियान्वयन से 11,90,707 लोग सीधे तौर पर जबकि 47,62,828 लोग परोक्ष तौर पर लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार 21,897 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार व 33,820 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

सहकारिता विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार परियोजना के अंतर्गत बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एम–पैक्स) के इन्फ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण व डिजिटाईजेशन किया जाएगा। इन समितियों के माध्यम से छोटी–छोटी जोत के किसानों के साथ ही बंजर भूमि को शामिल करते हुए क्लस्टर आधार पर सामूहिक खेती की जाएगी। एम–पैक्स को ही खरीद केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा जहां स्थानीय उत्पादों के भण्डारण व खरीद की व्यवस्था होगी। राज्य की निष्क्रिय क्रय–विक्रय सहकारी समितियों को पुनर्जीवित किया जाएगा और इन समितियों के माध्यम से उत्पादों के विपणन की व्यवस्था की जाएगी।

भेड़–बकरी पालकों के लिए अलग से त्रि–स्तरीय सहकारी ढांचा गठित कर लिया गया है। लगभग 10 हजार भेड़ व बकरी पालकों को संगठित किया गया है। मीट उत्पादन को आधुनिक ढंग से विकसित किया जाएगा और हिमालयन मीट के नाम से ब्राण्डिंग की जाएगी।

डेयरी विकास के तहत 4500 दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से पशुपालकों को 5 से 10 इकाई देकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की जाएगी।

मत्स्य उत्पादन के लिए भी त्रि–स्तरीय सहकारी ढांचा तैयार किया गया है। मत्स्य पालकों को ट्राउट फार्मिंग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए अनुकूल स्थानों पर तालाब निर्माण किया जाएगा। उत्पादन के वितरण व परिवहन का दायित्व केंद्रीय व शीर्ष संस्था का होगा।

परियोजना से किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलेगा, बंजर व अनुपयोगी कृषि भूमि का उपयोग हो सकेगा। कोल्ड स्टोरेज, वेल्यू एडीशन, बैकवर्ड व फारवर्ड लिकेंज की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीणों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना, पर्यटन व होम–स्टे से रोजगार सृजन भी योजना में शामिल किया गया है।

कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन व मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह की एक मार्ग निर्देशक समिति व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अनुश्रवण व अनुमोदन समिति की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने योजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधामोहन का आभार व्यक्त किया है।

''प्रधानमंत्री जी का उत्तराखण्ड से विशेष स्नेह रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजने पर केंद्र सरकार ने तत्काल इसे मंजूरी दी। पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन से संबंधित सारी रिपोर्ट मिल चुकी है। इसके आधार पर रणनीतिक तरीके से काम किया जा रहा है जिसका परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं व रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर न केवल पलायन को रोका जा सकता है बल्कि रिवर्स माईग्रेशन भी सम्भव हो सकता है। बेहतर शिक्षा के लिए तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया गया है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए टेलि रेडियोलॉजी व टेली मेडिसिन शुरू की गई है। अटल आयुष्मान योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी योजना है। इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से केवल पर्वतीय क्षेत्रों में ही 40 हजार करोड़ रूपए का निवेश किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड़ सहित इंन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं।''

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 06 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(02/21)

उत्तराखण्ड में जूनियर ट्रैफिक फोर्स का शुभारम्भ

- **यातायात के नियमों को जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी।**
- **यातायात को सुगम बनाने के लिए सेफ, स्मूथ एवं स्माइलिंग वाली व्यवस्था जरूरी**
- **मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह में ट्रैफिक नियमों के पालन हेतु जनता से की अपील**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को पुलिस लाईन देहरादून में 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जूनियर ट्रैफिक फोर्स उत्तराखण्ड का शुभारम्भ व यातायात निदेशालय द्वारा ट्रैफिक नियमों पर बनाये गये ऑडियो–वीडियो विजुवल का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। यातायात के नियमों का उल्लंघन कमजोर मानसिकता का परिचायक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात निदेशालय द्वारा जूनियर ट्रैफिक फोर्स की पहल एक सराहनीय प्रयास है। उन्होंने इस फोर्स में शामिल होने वाले बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि इन बच्चों ने पढ़ाई के साथ–साथ सामाजिक जिम्मेदारी ली है। ये सामाजिक जीवन में नवचेतना का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में बाहर से आने वाले पर्यटकों की संख्या अधिक है। यातायात के संसाधनों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान में लगभग 24 लाख वाहन पंजीकृत हैं। यातायात को नियंत्रित करने व दुर्घटनाओं से बचाव के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। यह हम सबका सामाजिक दायित्व भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए सुरक्षा, सामाजिक सरोकार व स्वच्छता का मंत्र दिया गया है। उसी तरह यातायात को सुगम बनाने के लिए सेफ, स्मूथ एवं स्माइलिंग वाली व्यवस्था बनाने पर पुलिस जोर दे रही है। इसमें सभी के सहयोग की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहन दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें ट्रैफिक नियमों के पालन के साथ ही अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा।

पुलिस महानिदेशक श्री अनिल कुमार रतूड़ी ने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य यातायात के नियमों का पालन व सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करना है। वाहनों के आवागमन में सुरक्षा महत्वपूर्ण है। यातायात नियमों के पालन हेतु जनजागरूकता के उद्देश्य से 50 स्कूलों के एक हजार बच्चों की एक जूनियर ट्रैफिक फोर्स बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस का कार्य अनुशासन बनाये रखना है। उन्होंने पुलिस से अपील की कि सबसे पहले स्वयं ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जब अनुशासन की शुरूआत स्वयं से होती है, तो उसके बेहतर परिणाम होते हैं। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के पालन हेतु सभी सम्बन्धित विभागों को सामंजस्य के साथ कार्य करना जरूरी है।

पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अशोक कुमार ने कहा कि किसी भी देश की ट्रैफिक व्यवस्था उस देश का आयना होती है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली छात्रों की जो जूनियर ट्रेफिक फोर्स बनाई गई है, यदि एक बच्चा एक दिन में 03 लोगों को भी जागरूक करता है तो सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आयेगी।

यातायात निदेशक श्री केवल खुराना ने कहा कि 04 से 10 फरवरी तक मनाये जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह में यातायात के नियमों के पालन व सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से क्विज, पेंटिंग, स्लोगन प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। पिछले वर्ष यातायात के नियमों के उल्लंघन में 12 लाख चालान हुए तो जो संख्या इस वर्ष बढ़कर 16 लाख पहुंच गई। इसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में 10 प्रतिशत कमी आई है। इस अवसर पर सम्भव मंच द्वारा सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों के पालन पर एक लघु नाटिका का प्रस्तुतीकरण भी किया गया।

इस अवसर पर मेयर श्री सुनील उनियाल गामा, एंग्लो इंडियन विधायक श्री जार्ज आईवन ग्रेगरी मैन, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया बड़थ्वाल व पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग